भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1345
25.07.2022 को उत्तर के लिए

खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग

1345. श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पैकेजिंग उद्योग में प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग और पर्यावरण तथा मानव जीवन पर इसके खतरनाक प्रभावों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कठिनाइयों के कारण पानी और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए पैकेजिंग उद्योग पर प्रतिबंध लगाने और खाद्य पदार्थों तथा पानी की पैकेजिंग में उपयुक्त वैकल्पिक सामग्री का उचित सुझाव देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने पैकेजिंग उद्योग में उपयोग के लिए प्लास्टिक के विकल्पों की पहचान करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और विकास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) : प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट सहित अव्यवस्थित और इधर-उधर बिखरे हुए प्लास्टिक कचरे का स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट सहित प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए सांविधिक प्रावधान किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों को भी अधिसूचित किया है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे की कार्रवाई करने के प्रावधान किए गए हैं।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है, जो प्लास्टिक सहित विभिन्न खाद्य पैकेजिंग सामग्रीयों के लिए सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। खाद्य उत्पादों की पैकिंग और भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री, इन विनियमों में दिए गए भारतीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। सुरक्षा मापदण्डों के लिए सीमाएं जैसे की समग्र हस्तांतरण और विशिष्ट हस्तांतरण, निर्दिष्ट की गई हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभिज्ञात सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों के विकास में नवाचार को प्रोत्साहित करने और डिजिटल समाधानों के लिए, उच्च शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप के छात्रों के लिए इंडिया प्लास्टिक चैलेंज - हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव अवक्रमणीय पॉलीमेरिक सामग्रीयों और जैव अवक्रमणीय प्लास्टिक के विकास के लिए अनुसंधान और विकासात्मक परियोजनाओं में सहयोग किया है। नीति आयोग ने प्लास्टिक और उसके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पादों और प्रौद्योगिकियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

*****